रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 1983/माघ 28, 1904
No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1983/MAGHA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रीमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1983

का०आ० 125(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) एक सौ सत्तासवां संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे

2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में,

(i) प्रथम अनुसूची में-

(क) कृषि मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"1. कृषि मंत्रालय :

(I) कृषि और सहकारिता विभाग।

(II) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग।";

(ख) प्रविष्टि "1ख. नागर विमानन मंत्रालय" का लोप किया जाए

(ग) प्रविष्टि "1ग. नागरिक पूर्ति मंत्रालय" का लोप किया जाए

(घ) विज्ञ मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"8क. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय :

(I) खाद्य विभाग।

(II) नागरिक पूर्ति विभाग।";

(ङ) प्रविष्टि "21. पूर्ति मंत्रालय" का लोप किया जाए;

(च) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"22. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय :

(I) पर्यटन विभाग।

(II) नागर विमानन विभाग।";

(छ) खेल विभाग से संबंधित प्रविष्टि 29क. के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"29ख. पूर्ति विभाग।",

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) शीर्षक "कृषि मंत्रालय" के नीचे,

(I) उप-शीर्षक "ख. खाद्य विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(II) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित उपशीर्षक "ग" को "ख" के रूप में पत. अक्षरांकित किया जाए;

(ङ) शीर्षक "नागर विमानन मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(च) शीर्षक "नागरिक पूर्ति मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(छ) शीर्षक "खाद्य मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् --

"खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय"

क. खाद्य विभाग

I निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची I के अन्तर्गत है --

1 सिविल और सैनिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटान ।

2 खाद्य से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों, जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद, विश्व खाद्य परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।

3 विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति ।

4 खाद्यान्नों के, जिनके अन्तर्गत शर्करा है, भंडारकरण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और उनका अर्जन; खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिए भूमि पट्टे पर लेना या उसका अर्जन ।

5. खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बाबत, जिनके अन्तर्गत शर्करा है, अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

6 वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक वह उनका संबंध निम्नलिखित से है --

(क) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिसके अन्तर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण आते है),

(ख) शर्करा उद्योग (जिसके अन्तर्गत गुड़ और खंडसारी आते है), और

(ग) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।

7 केन्द्रीय भाण्डागार नियम और राज्य भाण्डागार नियम ।

II निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अन्तर्गत है (केवल विधान की बाबत) --

8 खाद्यान्नों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका प्रदाय और वितरण ।

9 शर्करा में और खाद्यान्नों से भिन्न पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।

10 खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और शर्करा का कीमत नियंत्रण --

III भाग I और भाग II में उल्लिखित विषयों तथा दिल्ली अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संघ प्रशासन के लिए ।

IV. साधारण और पारिणामिक --

11. निम्नलिखित कार्यालयों से सम्बद्ध मामले --

(I) खाद्य विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय ।

(II) शर्करा निदेशालय नई दिल्ली ।

(III) शर्करा संस्थान, कानपुर ।

12. शर्करा उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।

13 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध ।

14. इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े ।

15 इस विभाग को आवंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती है ।

ख नागरिक पूर्ति विभाग

I. आंतरिक व्यापार

1 आंतरिक व्यापार ।

2 अन्तर्राज्यिक व्यापार, स्पिरिटयुक्त निर्मितियां (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955

3 वायदा बाजार का नियंत्रण [अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952] ।

4 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित नहीं है) ।

5 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अनुरक्षण अधिनियम 1980 ।

6 उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं ।

7 लोक वितरण प्रणाली ।

8 कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता ।

9 राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ।

10 पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।

11 कानूनी माप-विज्ञान में प्रशिक्षण ।

12 वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक वे वनस्पति घी, सिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से सम्बद्ध है ।

13 वनस्पति घी, सिलहन, वनस्पति तेल, खली और वसा का अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य उनका मूल्य नियंत्रण, पूर्ति और वितरण ।

14 वनस्पति घी, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।

II व्यापार चिह्न आदि

15 व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम 1958

16 संप्रदर्शक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

17 बाट और माप मानक (बाट और भार मानक अधिनियम, 1956—बाट और माप मानक अधिनियम, 1976)।

18 भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952

19 इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन, जिसमें फारवर्ड मार्केटस कमीशन बम्बई भी सम्मिलित है।

(छ) शीर्षक "इस्पात और खान मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् —

"पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

क पर्यटन विभाग

1 पर्यटन विकास।

2 युवक होस्टल।

3 भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल/मोटल।

4 इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिये जांच और आंकड़े।

ख नागर विमानन विभाग

1 मौसम विभाग संगठन।

2. वायुयान और विमान शोधालय हवाई अड्डों की व्यवस्था हवाई यातायात और हवाई अड्डों का (विमान शोधालय से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय) विनियमन और संगठन।

3 वायुयान की सुरक्षा के लिये बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएं।

4. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।

5 इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गेनाइजेशन (आई०सी० ए०ओ०)।

6. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई०ए०टी०ए०)

7 कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी०ए०टी०सी०)।

8 कामनवेल्थ ऐडवाइजरी एरोनाटीकल रिसर्च काउंसिल।

9. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम।

10. भारतीय होटल निगम।

11. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा।

12. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिये जांच और आंकड़े।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं।

16. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन।"

(ज) शीर्षक "पूर्ति मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

(झ) शीर्षक "अंतरिक्ष विभाग" और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"पूर्ति विभाग

1 जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रखाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिये क्रय, निरीक्षण और रखाना करने का कार्य।

2. अधिशेष स्टोर का व्ययन।

3 गत युद्ध-संगठनों, जिनके अन्तर्गत सिविल अनुरक्षण यूनिटों सहित वायुयान महानिदेशालय और पोत परिवहन महानिदेशालय भी है, से संबंधित पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य।

4 निम्नलिखित का प्रशासन —

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय।

(ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली।

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता।"

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/5/83-मंत्रि०]
प्रेम कुमार, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1983

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-seventh Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(a) for entry 1. relating to the Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya), the following entry shall be substituted, namely:—

"1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya):

(i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vibhag).

(ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag).";

(b) entry "1B. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)" shall be omitted;

(c) entry "1C. Ministry of Civil Supplies (Nagrik Poorti Mantralaya)" shall be omitted;

(d) After entry 8, relating to the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya), the following entry shall be inserted, namely:—

"8A. Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya aur Nagrik Poorti Mantralaya):

(i) Department of Food (Khadya Vibhag).

(ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag).";

(e) entry "21. Ministry of Supply (Poorti Mantralaya)" shall be omitted;

(f) for entry 22 relating to the Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya), the following entry shall be substituted, namely:-

"22. Ministry of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanan Mantralaya):

(i) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).

(ii) Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag).",

(g) after entry 29A, relating to the Department of Sports (Khel Vibhag), the following entry shall be inserted, namely:

"29B. Department of Supply (Poorti Vibhag).";

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)",—

(i) sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)" and entries thereunder shall be omitted;

(ii) sub-heading "C" relating to the DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION (KRISHI ANUSANDHAN AUR SHIKSHA VIBHAG) shall be re-lettered as sub-heading "B",

(b) the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted;

(c) the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted;

(d) after the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:

"MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)

I. The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:-

1. Purchase of foodstuffs for civil and military requirements and their disposal.

2. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning food, e.g. International Wheat Council, International Sugar Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute and implementation of decisions made thereat.

3. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgraing and other foodstuffs

4. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar; taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.

5. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other food-stuffs including sugar.

6. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest, as far as these relate to:

(a) Fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration);

(b) Sugar Industry (including development of gur and khandsari); and

(c) Foodgrain milling industry.

7. Central Warehousing Corporation and the Warehousing Corporations.

II. The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):—

8. Trade and commerce in and supply and distribution of foodgrains.

9. Trade and commerce in and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.

10. Price control of foodgrains, foodstuffs and sugar.

III. For the subjects detailed in Parts I and II as well as the Food Administration of Delhi, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

IV. General and Consequential:

11. Matters relating to the following offices:—

(i) Subordinate Offices under the Department of Food.

(ii) Directorate of Sugar, New Delhi.

(iii) National Sugar Institute, Kanpur.

12. Matters relating to the Development Council for Sugar Industry, New Delhi.

13. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

14. Inquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department.

15. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG):

I. Internal Trade:

1. Internal Trade

2. Inter-State Trade, the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry)

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of supplies and Essential Commodities Act, 1980.

6. Consumer Cooperatives.

7. Public Distribution System.

8. Monitoring of prices and availability of essential commodities.
9. The National Consumer Protection Council.
10. Regulation of packaged Commodities.
11. Training in Legal Metrology.
12. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
13. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.
14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.
II. Trade Marks, etc.
15. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.
16. The emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.
17 Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956. The Standards of Weights and Measures Act, 1976).
18. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.
19. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.";

(e) after the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely: -

"MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG):

1. Development of Tourism.
2. Youth Hostels.
3. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels/Motels thereunder.
4. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

B. DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN VIBHAG):

1. Meteorological Organisation.
2. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.
3. Beacons and other provision for the safety of aircraft.
4. Carriage of passengers and goods by air.
5. International Civil Aviation Organisation (ICAO)
6. International Air Transport Association (IATA).
7. Commonwealth Air Transport Council (CATC).
8. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.
9. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).
10. Hotel Corporation of India.
11. Chief Commissioner of Railway Safety.
12. International Airports Authority of India.
13. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
14. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
15. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
16. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.";

(f) the heading "MINISTRY OF SUPPLY (POORTI MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted;

(g) after the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"DEPARTMENT OF SUPPLY (POORTI VIGHAG)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than the items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.
2. Disposal of surplus stores.
3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General Ship Repairs.
4. Administration of:--
   (a) Directorate General of Supplies and Disposals.
   (b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi.
   (c) National Test House, Alipore, Calcutta.".

ZAIL SINGH,
President
[No.74/2/5/83-Cab.]
PREM KUMAR, Addl. Secy.

1350 GI 82-2

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983